राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Ph.: 0141-2706106 (O);

CCE/ Acad./2020/Spl./03; दिनांक : 13 अप्रैल 2020

प्राचार्य,

समस्त राजकीय महाविद्यालय

राजस्थान ।

विषय : कोरोना महामारी के कारण घोषित अवकाश में वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों द्वारा घर से किये गए कार्यों का विवरण प्रेषित करने बाबत ।

सन्दर्भ : आकाशि द्वारा प्रेषित पत्रांक CCE/Acad./2020/Spl./01; दिनांक 25/03/2020 तथा तदोपरांत दिनांक 26 मार्च 2020 से दिनांक 01 अप्रैल 2020 तक आपको whatsapp के माध्यम से प्रेषित संदेशों के समबन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में लेख है कि आपको एवं समस्त शिक्षक साथियों को आकाशि के उक्त पत्रांक द्वारा निर्देशित किया गया था की राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी को कोरोना महामारी के कारण घोषित इस अवकाश अवधि में “वर्क फ्रॉम होम” के अंतर्गत निम्नलिखित निर्दिष्ट कार्यों में से सुविधानुसार दैनिक रूप से कार्य निष्पादन करना है –

1. e- lecture (video) रिकॉर्ड / तैयार करना एवं उन्हें उचित मीडिया माध्यम पर अपलोड करना ।
2. विषय के चैप्टर / कन्टेन्ट वाइज नोट्स तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्द्ध करवाना ।
3. मासिक सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन पेपर्स तैयार करना ।
4. विश्वविद्यालय परीक्षाओ की तैयारी हेतु मॉडल क्वेश्चन-आंसर तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्द्ध करवाना ।
5. Quick Response System (QRS) रूप में विद्यार्थियों के व्हात्सप्प समूह बनाकर उनके प्रश्नों का तात्कालिक समाधान सुनिश्चित करना ।

इन कार्यों की मोनिटरिंग के लिए आयुक्तालय स्तर पर समितियां भी गठित की गयी हैं ।

इसी के क्रम में सभी प्रचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि -

1. महाविद्यालय में जिन शिक्षकों ने उपर्युक्त कार्य निष्पादन किया है उनके व्यक्तिशः नाम एवं उनके द्वारा निष्पादित दैनिक कार्य का दिनांक वार विवरण सलंग्न प्रारूप A में दिनांक 15 अप्रैल 2020 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें । जिन शिक्षकों द्वारा इस अवकाश अवधि में समुचित एवं सराहनीय कार्य किया है उन्हें आयुक्तालय स्तर से प्रशंसा पत्र प्रेषित किये जाने हैं ।
2. जिन शिक्षकों द्वारा निर्दिष्ट कार्य निष्पादन नहीं किया गया है उनके नामों की सूची प्रारूप B में भिजवाये । इसे सभी शिक्षकों को राज्यादेश अवेहलना के लिए आयुक्तालय की और से कारण बताओ नोटिस जारी किये जायेंगे ।
3. इस सत्र 2019-20 के वार्षिक कार्य प्रतिवेदन (ACR) में भी : कोरोना महामारी के कारण घोषित अवकाश में राज्य निर्देशित वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत निष्पादित कार्य को भी भरवाया जायेगा जिसके आधार पर महाविद्यालय शिक्षको के वार्षिक कार्य का मूल्याङ्कन किया जायेगा । इसके लिए कार्मिक विभाग को अभिशंसा प्रेषित कर दी गयी है ।

4. ध्यान दें की आपके महाविद्यालय के सम्बन्ध में स्प्रेडशीट में जो सूचना अपने प्रेषित की है तदनुसार सभी महाविद्यालयों को रिकार्डेड ई-व्याख्यान, अपलोडेड ई-व्याख्यान के लिंक्स, तैयार मासिक प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न-उत्तर आयुक्तालय को प्रेषित करने होंगे ताकि उनका राज्य स्तर पर विद्यार्थी हित में वृहद् स्तर पर उपयोग किया जा सके। साथ ही, महाविद्यालय स्तर पर बनाये गए whatsapp समूहों का महाविद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के अनुरूप विवरण जिसमें whatsapp समूह संख्या तहतः प्रत्येक ग्रुप में लाभार्थियों की संख्या का उल्लेख करें ताकि इससे विद्यार्थियों में एक सकारात्मक सन्देश प्रसारित किया ता सके एवं राज्य सरकार को भी रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

उपर्युक्त निर्देशित सूचनाये दिनांक 15 अप्रैल 2020 तक आवश्यक रूप से संयुक्त निदेशक अकादमिक की ई-मेल jdacad1960@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह प्राचार्यों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है।

प्रदीप कुमार बोरड, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

CCE/ Acad./2020/Spl./**04**-05; दिनांक : 13 अप्रैल 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनिकी शिक्षा, राजस्थान।
3. अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को समन्वय हेतु।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, आयुकतालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान को मोनिटरिंग हेतु।
6. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान